

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणा-पत्र

क्रमांक 17/जसपुर/89-9008

यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम क्षेत्रना केन्द्र खेडीमिलक
मु.पु. खेडी मिलक जिला जयपुर का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया
गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक म्यारच माह चार सन् एक हजार नौ सौ 89 को
में दिया गया।



रजिस्ट्रार संस्थाएं